

सेवा में,

श्रीमान प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, आरैया।

महोदया,

प्रार्थी ललित कुमार पुत्र सुरेश कुमार यादव निवासी ग्राम लखनपुर
थाना दिबियापुर जिला आरैया का निवासी है।

01. यह कि प्रार्थी शुक्ला टूर एवं ट्रैवेल्स, मैन मार्केट इन्दिरानगर के प्रोपेराइटर श्री राजकुमार शुक्ला के द्वारा फैमिली कोर्ट में अनुबंध पर लगाई गई इनोवा क्रिस्टा नंबर UP 32 MP 4732 का चालक है तथा 12000/- रुपये प्रतिमाह में परिवार न्यायालय में संविदा पर लगाई गई गाड़ी चलाता है।

02. यह कि श्री रणजय वर्मा, फैमिली कोर्ट जज दो सितम्बर 2022 को ट्रांसफर हो गये थे। उसके बाद परिवार न्यायालय खाली था और अनुबंध पर लगाई गई गाड़ी कचहरी परिसर में खड़ी हो गई, जिसकी चाभी प्रशासनिक अधिकारी श्री भूपेश मिश्रा ने नाजिर श्री सतीश राय को दे दिया था और गाड़ी का प्रयोग जिला जज, नाजिर तथा एस.ए.ओ. करते रहे, जिसका दुरुपयोग रोकने के लिए परिवार न्यायालय के इन्चार्ज फर्स्ट ए.डी.जे. साहब ने लॉग बुक बनवा दी।

03. यह कि मेरे मालिक श्री राजकुमार शुक्ला ने माह सितम्बर, अक्टूबर तथा नवंबर का बिल रुपये 67989/- प्रतिमाह की दर से भेजा था, जिसे प्रशासनिक अधिकारी ने जिला जज के सामने पेश करने के लिए केन्द्रीय नाजिर, श्री सतीश राय को दिया।

04. यह कि श्री सतीश राय, नाजिर ने राजकुमार शुक्ला से कहा कि आकर पहले जिला जज से मिल लो, तब बिल पेश होगा। 05. यह कि गाड़ी मालिक श्री राजकुमार शुक्ला, जो लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने केन्द्रीय नाजिर श्री सतीश राय से बात किया तो श्री सतीश राय ने एक महीने का रुपये 12000/- कमीशन मांगा।

06. यह कि मेरे मालिक श्री राजकुमार शुक्ला दिनांक 03.11.2022 को मेरे साथ आकर जिला जज के चेंबर में गये तो जिला जज साहब ने कहा कि नाजिर से समझ लो तब पेमेंट होगा। जब श्री राजकुमार शुक्ला चेंबर से बाहर आये तो श्री सतीश राय ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, सितम्बर, अक्टूबर का बिल पेश करने के लिए 24000/- रुपये दीजिए।

ललित कुमार

07. यह कि श्री राजकुमार शुक्ला दिनांक 03.11.2022 को लखनऊ वापस चले गये और मुझे फोन करके कहा कि तुम अपने खाते से 24000/- रुपये निकाल कर नाजिर सतीश राय को दे दो। तब मैंने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते के ए.टी.एम. से विड्रॉ करके 24000/- रुपये नाजिर सतीश राय को दिया। उसके बाद जिला जज साबह ने माह सितंबर का बिल पास किया।

08. यह कि माह अक्टूबर 2022 का बिल नहीं पास किया तो मैंने मालिक राजकुमार शुक्ला ने सतीश राय से कहा कि आपने पैसा पूरा ले लिया और एक महीने का बिल पास किया। नाजिर श्री सतीश राय ने कहा कि इतने पैसे में बस इतना ही काम होगा और आज तक हमारे मालिक का माह अक्टूबर का बिल लटका रखा है। मैंने मालिक श्री राजकुमार शुक्ला ने श्री सतीश राय से की गयी वार्ता का कॉल रिकार्ड किया है, जो मैंने मोबाइल में है।

09. यह कि मैंने मालिक श्री राजकुमार का बिल पास न हो पाने के कारण मेरा तीन माह का वेतन भी नहीं दिया गया है।

अतः महोदया से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए माह अक्टूबर, 2022 का बिल पास करने की कृपा करें।

दिनांक
11/11/23

प्रार्थी

ललित कुमार

ललित कुमार

पुत्र श्री सुरेश कुमार यादव

नि० ग्राम लखनपुर थाना दिबियापुर

जिला औरैया

प्रमाणित प्रति
Rajam Singh
जिला जज/प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय औरैया।

न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरैया।

प्रारम्भिक ऑर्डर संख्या-01/2023

साक्षी ई0कब्ल0-01:- ललित कुमार पुत्र सुरेश कुमार यादव निवासी ग्राम लखनपुर थाना दिबियापुर, जिला औरैया। चालक अनुबन्धिता वाहन संख्या-यू0पी0 32 एम0पी0 4732 ईनोवा कार ने शपथ बयान किया कि

“मैं शुक्ला टूर एवं ट्रैवल्स, इन्द्रानगर के प्रोपराइटर श्री राज कुमार शुक्ला के द्वारा नियोजित चालक हूँ। परिवार न्यायालय के पीठारीन अधिकारी के लिये शुक्ला टूर द्वारा ईनोवा कार नम्बर यू0पी0 32 एम0पी0 4732 लगभग 69,000/-रुपये महीने पर लगायी गयी है। मैं 22.04.2022 से इस गाड़ी को चला रहा हूँ। श्री रणजय वर्मा का ट्रान्सफर फतेहपुर हो गया था। उसके बाद तीन महीने तक इस कोर्ट में कोई जज नहीं आया। नाजिर ने गाड़ी कचहरी में खड़ी करवा लिया। फेमिली कोर्ट के कर्मचारी भूपेश मिश्रा ने इस गाड़ी की चाबी सतीश राय को दे दिया। इस गाड़ी का दुरुपयोग जिला जज, नाजिर और एस0ए0ओ0 करने लगे। फेमिली कोर्ट के इन्चार्ज पी0एन0 श्रीवास्तव ने लॉगबुक बनवा दिया था फिर भी नाजिर और जिला जज का इस कार का इस्तेमाल करते रहे।

मेरे मालिक राजकुमार शुक्ला ने माह सितम्बर, अक्टूबर, 2022 का गाड़ी का बिल भूपेश मिश्रा को डॉक से प्राप्त हुआ। जिसके भुगतान के लिये भूपेश मिश्रा ने सतीश राय को दे दिया। मेरे मालिक राजकुमार शुक्ला बिल का भुगतान न होने के कारण मेरी तनखाह भी रोक दिये हैं। राजकुमार शुक्ला ने सतीश राय नाजिर को फोन से बिल का भुगतान करने को कहा तो सतीश राय ने कहा कि आकर जिला जज से मिल लो। दिनांक 03.11.2022 को राजकुमार शुक्ला और मैं जिला जज के चैम्बर में गये तो जिला जज ने कहा नाजिर से समझ लो, तुम्हारी गाड़ी नहीं चली है तो डीजल का पैसा मुझे दे दो।

दिनांक 04.11.2022 को मेरे मालिक राजकुमार शुक्ला ने मुझे फोन किया कि अपने खाते से निकालकर 24,000/-रुपये जिला जज को दे दो तो मैंने उसी दिन अपने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाते से 24,000/-रुपये ए0टी0एम0 से आहरण करके जिला जज को देने के लिये नाजिर को दे दिया लेकिन नाजिर ने केवल माह सितम्बर का ही बिल पास कराया और अक्टूबर का बिल पास करने के लिये मेरे मालिक राजकुमार से कहा कि 24,000/-रुपये में इतना ही काम होगा। राजकुमार शुक्ला एवं सतीश राय के बीच हुई वार्ता का कॉल रिकॉर्ड भी मुझे मेरे मालिक ने भेजा है, जिसमें सतीश राय ने कहा है कि इतने पैसे में इतना ही काम होगा। मेरी 03 माह की तनखाह रूकी हुई है। हमारी तनखाह दिलाने की कृपा करें। आवश्यकता पड़ने पर मैं कॉल रिकॉर्ड की पैन्डाइव दाखिल करूँगा।”

इस सम्बन्ध में श्रीमान प्रधान न्यायाधीश को लिखित प्रार्थनापत्र दिया है, जो आज मेरे सामने है और जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

उपरोक्त बयान मेरे बोलने पर आशुलिपिक

द्वारा मेरी श्रवण गोचरता में अंकित किया गया।

सुनकर तस्दीक किया।

ललित कुमार

इन्द्रानगर औरैया

UP32MP4732

12/11/2023

प्रमाणित प्रतिलिपि

Rajam Singh

(रजनी सिंह)

जिला जज/प्रधान न्यायाधीश

परिवार न्यायालय औरैया।

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
औरैया।

न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरैया।

2

प्रारम्भिक जॉच संख्या-01/2023

साक्षी ई0डब्लू0-02:- राजकुमार शुक्ला पुत्र शिव कुमार शुक्ला निवासी ए 1367/3 इन्द्रा नगर निकट मीना मार्केट, लखनऊ संचालक शुक्ला दूर एवं ट्रैवल्स, लखनऊ ने सशपथ बयान किया कि

"आज मैं माननीय न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस पर उपस्थित हुआ हूँ। जो मेरे मोबाइल नम्बर 9936237507 के वॉट्स एप पर न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी भूपेश मिश्रा के द्वारा भेजा गया था। मेरे दूर एवं ट्रैवल्स का वाहन संख्या यू0पी0 32 एम0पी0 4732 को फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश के लिये जेम पोर्टल से अनुबंधित किया गया है, जो लगभग 6700/-रुपये प्रतिमाह पर अनुबन्ध किया गया था।

मेरे इस वाहन का चालक ललित कुमार पुत्र सुरेश कुमार यादव निवासी ग्राम लखनपुर थाना दिबियापुर, जिला औरैया है, जिसे मैं 12,000/-रुपये प्रतिमाह वेतन देता हूँ। अनुबन्ध की शर्त के अनुसार एक माह में दो हजार किलोमीटर चलने पर डीजल का पूरा व्यय मैं देता हूँ। माह सितम्बर, अक्टूबर 2022 का बिल मैंने डाक से भेजा था। जिसका मुझे भुगतान न मिलने पर मैं जनपद औरैया 02.11.2022 को आया था और मैंने नाजिर से भुगतान करवाने के लिये कहा तो नाजिर ने कहा कि जज साहब से मिल लीजिये तब मैं और मेरा चालक ललित कुमार नाजिर सतीश राय के साथ जिला जज के चैम्बर में 04:30 बजे मिला और बिल भुगतान करने के लिये कहा तो जिला जज ने कहा तुम्हारी गाड़ी नहीं चली है तो कैसा भुगतान तो मैंने अनुरोध किया कि तीन महीने से गाड़ी आपके पास है। यदि चलती तो 12,000/-रुपये महीने में डीजल का भुगतान करता और मैं अभी भी दो महीने का 24,000/-रुपये देने को तैयार हूँ। मैंने यहाँ तक कहा कि गाड़ी और ड्राइवर वापस कर दीजिये मैं बिल प्रस्तुत करता रहूँगा आप सारा पैसा ले लीजिये केवल जी0एस0टी0 का पैसा दे दीजिये तो जिला जज ने कहा कि ठीक है, 24,000/-रुपये नाजिर को दे दो। मैं 02.11.2022 को लखनऊ लौट गया और अपने ड्राइवर ललित के खाते में 24,000/-रुपये डाला और ललित ने 04.11.2022 को ए0टी0एम0 से पैसा निकालकर नाजिर सतीश राय को दे दिया था।

ललित ने मुझे फोन करके बताया कि उसने 24,000/-रुपये नाजिर को दे दिया है। 24,000/-रुपये देने के बाद जिला जज ने केवल एक महीने के बिल का भुगतान किया जबकि मुझे कहा गया था कि इतने पैसों में दो महीने का भुगतान कर देंगे। मैंने एक महीने का बिल भुगतान होने के बाद अपने मोबाइल नम्बर 9936237507 से नाजिर सतीश राय के मोबाइल नम्बर 8937971463 पर 25.11.2022, 03.12.2022, 07.12.2022 व 13.12.2022 को मैंने बिल के भुगतान के लिये कहा तो नाजिर ने कहा कि इतने पैसे में बस एक ही बिल का भुगतान होगा और फिर दूसरे बिल के भुगतान के लिये रुपये फिर मांगने लगे और कहा कि जिला जज साहब इतने पैसे में इतना ही काम करेंगे। यह वार्ता मेरे मोबाइल सेट पर सुरक्षित है। जिसकी पेनड्राइव आज मैं दाखिल कर रहा हूँ। माह अक्टूबर में बिल भुगतान का पॉवर जिला जज को था। इसलिये मेरा भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। आज यह बयान मैं स्वेच्छा से दे रहा हूँ।"

उपरोक्त बयान मेरे बोलने पर आशुलिपिक

द्वारा मेरी श्रवण गोचरता में अंकित किया गया।

सुनकर तस्दीक किया।

राजकुमार शुक्ला

प्रमाणित प्रति

संचालक शुक्ला/इस सेट को देना

17/1/2023

जिला जज/प्रधान न्यायाधीश

परिवार न्यायालय औरैया।

(रजनी सिंह)

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
औरैया।

न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरैया।प्रारम्भिक जाँच संख्या-01/2023

साक्षी ई0डब्लू0-03:- साक्षी भूपेश मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी, परिवार न्यायालय, औरैया ने सशपथ बयान किया कि मैं दिनांक 04.07.2020 से प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरैया में कार्यरत हूँ। श्री रणजय वर्मा मेरे कार्यकाल में प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुये थे और दिनांक 02.09.2022 में श्री रणजय वर्मा ने प्रभार छोड़ा था और तब से दिनांक 01.12.2022 तक रिक्त था और हमारे न्यायालय के प्रभारी श्रीमान ए0डी0जे0-प्रथम थे। मेरे द्वारा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को शुक्ला टूर एवं ट्रैवल्स, इन्द्रा नगर को ईनोवा कार वाहन संख्या यू0पी0 32 एम0पी0 4732 अनुबन्धित किया था। जिसे जेम पोर्टल से अनुबंधित किया गया था। फैमिली कोर्ट रिक्त होने के बाद फैमिली कोर्ट के कर्मचारियों और वाहन के बिल के भुगतान के लिये वित्तीय शक्तियां श्रीमान जिला जज साहब को सितम्बर के अंत में प्राप्त हुई थीं। अनुबन्धित ईनोवा कार माह सितम्बर का बिल दिनांक 03.10.2022 को प्राप्त हुआ था। जिस पर प्रभारी अधिकारी ने केन्द्रीय नाजिर को प्राप्त कराने के लिये दे दिया था। इसी प्रकार माह अक्टूबर का बिल नवम्बर महीने में प्राप्त हुआ, जिसे केन्द्रीय नाजिर सतीश राय को प्राप्त करा दिया गया था। गाड़ी का मालिक राज कुमार शुक्ला बिल का भुगतान कराने के लिये बार-बार फोन करता था। उसके बाद वह स्वयं दिनांक 02.11.2022 को आया और श्रीमान जिला जज साहब से मिला था। उसके बाद एक बिल पास हुआ और एक बिल पास नहीं हुआ। उस गाड़ी का चालक ललित कुमार ने बताया कि नाजिर सतीश राय ने 02 महीने का बिल पास कराने के लिये 24,000/-रूपये कमीशन लिया है। इससे अधिक मैं अन्य बातें नहीं जानता। मैं स्वेच्छा से बयान दे रहा हूँ।

उपरोक्त बयान मेरे बोलने पर आशुलिपिक द्वारा मेरी श्रवण गोचरता से अंकित किया गया।

सुनकर तस्दीक किया।

Raj P.S.
18-1-23

प्रमाणित प्रति

Rajam Singh
जिला जज/प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय औरैया।

Rajam Singh
(रजनी सिंह)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
औरैया।



Justice Pritinker Diwaker
Senior Judge &
Executive Chairman, UPSLSA

23 August 2022

Dear Smt. Singh

I deeply appreciate the unstinted effort, cooperation and commitment extended by you in ensuring the success of the National Lok Adalat held on 13th August, 2022. The dedication shown by you and the judicial officers working under your guidance is reflected in the impressive outcome of the National Lok Adalat in the State of Uttar Pradesh. The systematic and organized manner in which, you have coordinated all the activities particularly by ensuring the participation of all stakeholders, is commendable.

Please convey my deep sense of appreciation to all the judicial and administrative officers as also to the staff of your Judgeship.

Thanking you,

Yours sincerely,


(Pritinker Diwaker)

Shri/Smt. Rejani Singh
Principal Judge, Family Court
District Ballia